S.NO. 413 (R)

पत्रांक– 07 / UIG (गवर्नेंस) –07 / 2012 1033 न0वि0एवंआ0वि0

(967)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

FTS-4558/Dir(Mission) 18/6/13

प्रेषक,

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा मे,

निदेशक (मिशन) JnNURM - V
शहरी विकास मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

पटना / दिनांक 10-6-13

विषयः– **JnNURM योजना के अधीन जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0–955 दिनांक–30.05.13 का प्रेषण ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना सं0–955 दिनांक–30.05.13 की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

18/6/13
US (N-II) urgent
19/6
SO (N-II)

6542
18/6/13
DH (UIDSSMT) V

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

।। अधिसूचना ।।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन0एन.यू.आर.एम.) की शुरूआत 3 दिसम्बर, 2005 को की गई। इस मिशन का बुनियादी उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के मसले का समाधान करना है और यह सुधारों के कार्यान्वयन से संबद्ध है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM) योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1. **उद्देश्य :–**

जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति (समितियों) का गठन शहरी आधारभूत संरचना एवं शासन (यू.आई.जी.), शहरी गरीबों के बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.), छोटे और मझोले शहरों के लिए शहरी आधारभूत संरचना विकास (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) तथा समेकित आवास एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)सहित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन0एन.यू.आर.एम.) के अधीन परियोजनाओं एवं सुधारों का संतोषप्रद कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है।

यह समिति (समितियों) यू.आई.जी., बी.एस.यू.पी., यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी, और आई. एच.एस.डी.पी, सहित जे.एन0एन.यू.आर.एम. के अधीन परियोजनाओं एवं सुधारों के संतोषप्रद कार्यान्वयन में राज्य सरकार के साथ प्रभावकारी संपर्क और समन्वय स्थापित करने के लिए भी हैं।

2. **बिहार राज्य में समिति की संरचना।**

जिलास्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति के गठन के लिए अध्यक्ष, सह–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य सचिव का मनोनयन करना आवश्यक है। जिलास्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति (समितियों) की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित होंगे :–

2.1 अध्यक्ष और सह–अध्यक्ष।

जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष/सह–अध्यक्ष के मनोनयन के मानदंड निम्नालिखित होंगे। :–

- जिस जिला में लोक सभा के मात्र एक सदस्य हों, वहां उन्हें समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा। भले ही वे लोक सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या संघीय (केन्द्रीय) मंत्रीपरिषद में मंत्री ही क्यों न हों।

- जिस जिला में लोक सभा के एक से अधिक सदस्य, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (लोक सभा) या संघीय मंत्रीपरिषद में मंत्री हों वहां इनमें से किसी एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत

- किया जाए तथा अन्य सदस्य (सदस्यों) को सह अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा। किन्तु, इन सदस्यों में से जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के भाग के रूप में जिला के अधिकतम भोगोलिक क्षेत्र/विधान सभा खंडों (क्षेत्रों) का प्रतिनिधित्व करते हों उन्हें अध्यक्ष के रूप में तथा अन्य सदस्य (सदस्यों) को सह–अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाय।

- जहां किसी जिला में लोक सभा के मात्र एक सदस्य हों और वे एक से अधिक जिला का प्रतिनिधित्व करते हों वहां उन्हे उन सभी जिलों में अध्यक्ष मनोनीत किया जा सकेगा, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हों।

2.2 <u>उपाध्यक्ष।</u>

राज्य का प्रतिनिधित्व करनेवाले संसद (राज्य सभा) सदस्य जिन्होने (पहले आओ के आधार पर) जिला के जिला स्तरीय समितियों के साथ सहबद्ध होने का विकल्प दिया हो, उन्हे उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाए।

2.3 <u>सदस्यगण।</u>

(1) संसद (लोक सभा) के अन्य सदस्य तथा संसद (राज्य सभा) के सदस्य भी, जिन्होने अपनी पसंद जताई हो, सदस्य होंगे।

(2) जिला के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित राज्य विधान सभा के सभी सदस्य ।

(3) नगर निगमों के महापौर/अध्यक्ष, नगर परिषदों के अध्यक्ष तथा नगर निगमों के आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

(4) जिला शहरी विकास प्राधिकारण (डी.यू.डी.ए.) का परियोजना पदाधिकारी या राज्य सरकार/क्षेत्रीय नगर निकाय प्रशासन से कोई पदाधिकारी।

(5) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले किसी ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य।

(6) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले सामाजिक कार्य/समाज विज्ञान क्षेत्र से एक वृत्तिक (प्रोफेसनल)

(7) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले अ.जा./अ.ज.जा. और महिला वर्ग का एक एक प्रतिनिधि।

- क्र0 सं0 (5)(6) और (7) पर उल्लिखित सदस्य के लिए शहरी मामलों का अनुभव होना अपेक्षित होगा।
- यदि अध्यक्ष उपस्थित न हों तो उपस्थित सदस्यगण अपने में से ही किसी सदस्य को निर्धारित बैठक की अध्यक्षता के लिए चुन लेंगे।

2.4) सदस्य सचिव।

समाहर्ता/जिला पदाधिकारी/जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य सचिव होंगे।

3. समिति के मुख्य क्रियाकलाप/दायित्व

3.1 परियोजनाओं की भौतिक (तकनीकी एवं गुण–अवगुण के आधार पर) और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना ।

3.2 सुधार की दृष्टि से प्रगति की समीक्षा करना ।

3.3 सुधारों तथा परियोजनाओ के कार्यान्वयन में आनेवाली बाधाओं की समीक्षा करना तथा आगे का रास्ता निकालना।

3.4 यू.आई.जी./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. तथा बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. के अधीन आनेवाली परियोजनाओं के अभिसरण के साथ–साथ नगर /जिला स्तर पर जे.एन0एन.यू.आर.एम. के साथ अन्य पहल का अभिसरण।

4 समिति के कार्य।

4.1 समिति की त्रैमासिक बैठक होगी और परियोजना सुधारों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

4.2 समिति आधारभूत संरचना तथा सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ सुधारों के कार्यान्वयन के विषय में स्थानीय शहरी निकाय (निकायों) का मार्गदर्शन कर सकेगी।

971)

4.3 समिति संपन्न बैठको/चर्चा की कार्यवाही तथा इसकी अनुशंसाएं संबद्ध स्थानीय शहरी निकायों (यू.एल.बी.) और संबद्ध राज्य सरकार की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल. एन.ए.) को प्रस्तुत करेगी।

4.4 राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) वेबसाइट पर कार्यवाहियों को अपलोड करने की कार्रवाई करेगी। एस.एल.एन.ए. अनुश्रवण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति की अनुशंसाओ पर कार्रवाई की जा रही है। कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन समिति की सभी बैठकों की कार्य सूची का अंग अवश्य हो। यदि की गई कार्रवाई के प्रतिवेदन मे महत्वपूर्ण मुद्दे हो तो उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के ध्यान मे लाया जा सकता है।

अध्यक्ष के निदेश पर सदस्य सचिव बैठक आहूत करेंगे।

समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी तथा संबद्ध स्थानीय शहरी निकाय सदस्य सचिव के माध्यम से सहायता करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/5/2013
(डा0 एस. सिद्धार्थ)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।